

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी।

सेवा में,

सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र - 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एन0ओ0सी0 /

/2009-10 दिनांक 13/11/2010

विषय :- नवोदय विद्या मंदिर रामीपुर (मेढ़ा) बदलापुर, जौनपुर को
सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा
परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं
के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री ऐजुकेशन नई
दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई
दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की
तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य
सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से
कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य
सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Principal

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

Manager

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

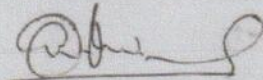
उक्त प्रतिबंधन का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

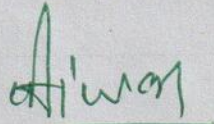
(ओ०पी०द्विवेदी)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं०/एन०ओ०सी०/ १०५०-५७ /2009-10 तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

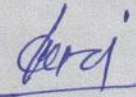
1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक नवोदय विद्या मंदिर रामीपुर (मेढा) बदलापुर जौनपुर।
7. गार्ड फाइल हेतु।



(ओ०पी०द्विवेदी)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी



Principal
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur



Manager
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur